शिक्षा ऋण पर केंद्रीय ब्याज उपदान योजना

1. योजना का उद्देश्य:

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय ब्याज उपदान योजना तैयार की है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये है) को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारत में अनुमोदित तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण की स्थगन अवधि के लिए पूर्ण ब्याज अनुदान उपलब्ध कराना है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया है.

2. योजना की प्रमुख बातें:

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण
1	लक्ष्य ग्राहक	• आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र (जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये है) • 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारत में अनुमोदित तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो.
2	पात्रता	• आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र (जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये है). योजना के अनुसार अभिभावकों के आय संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन जिला/ उप-जिला/ ब्लॉक आदि स्तर पर जिला स्तरीय परामर्श समिति (डीएलसीसी) द्वारा विनिर्दिष्ट / नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा. शाखाएं/ आरएसी ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों की सूची के लिए संबंधित डीएलसीसी से संपर्क करें. • 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारत में संसद के अधिनियम द्वारा अनुमोदित शेक्षणिक संस्थाओं, संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) व केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य संस्थानों में तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो. • यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए 01 अप्रैल 2009 को या इसके बाद किए गए संवितरणों

		पर लागू होगी, भले ही मंजूरी की तारीख़ कोई भी हो. 1.4.2009 के पूर्व मंजूर किए गए ऋणों तथा शैक्षणिक सत्र 2009-10 से पूर्व शुरू हो चुके पाठ्यक्रमों के लिए ब्याज उपदान 1.4.2009 के बाद किए गए संवितरणों पर ही उपलब्ध होगा.
3	सहायता की सीमा	ऋण स्थगन अवधि के दौरान उपचित ब्याज.
4	अपफ्रंट/ प्रोसेसिंग शुल्क	अपफ्रंट/ प्रोसेसिंग शुल्क आईडीबीआई बैंक की मौजूदा शैक्षणिक ऋण नीति के अनुसार होगा.
5	ब्याज दर	ब्याज दरें आईडीबीआई बैंक की मौजूदा शैक्षणिक ऋण नीति के अनुसार होंगी.
6	प्रतिभूति	आईडीबीआई बैंक की मौजूदा शैक्षणिक ऋण नीति के मानदंडों के अनुसार.
7	शर्तें व निबंधन	• योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऋण-स्थगन अवधि के दौरान (अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि + एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के छ: माह बाद, जो भी पहले हो) पूर्ण ब्याज उपदान दिया जाएगा. ऋण-स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान विद्यार्थी द्वारा आईबीए की मौजूदा व समय समय पर यथासंशोधित शैक्षणिक ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. • योजना के अंतर्गत ब्याज उपदान का लाभ पात्र विद्यार्थी को केवल एक बार या तो स्नातक पाठ्यक्रम के लिए या फिर स्नातकोत्तर उपाधि/ पत्रोपाधि के लिए मिलेगा. तथापि संयुक्त स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ब्याज उपदान प्राप्त हो सकेगा. • इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपदान ऐसे छात्रों को नहीं मिलेगा, जो पाठ्यक्रम के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हों या जिन्हें अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थानों से निकाल दिया गया हो. तथापि जहाँ पढ़ाई चिकित्सकीय आधार पर छोड़ी गई हो, वहाँ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा संतोषप्रद समझे गए दस्तावेजों के आधार पर पढ़ाई की वास्तविक अवधि के लिए उपदान उपलब्ध रहेगा.

		• बैंक पात्र शैक्षणिक ऋण खातों पर मासिक आधार पर ब्याज लगाएगा (आरबीआई मानदंडों के अनुसार). • ब्याज उपदान योजना ईडब्ल्यूएस से संबद्ध अन्य योजनाओं से बिल्कुल अलग होगी. • यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009-10 से अर्थात 1 अप्रैल 2009 से पूर्व प्रभावी होगी.

- *अधिक जानकारी के लिए कृपया आईडीबीआई बैंक की नज़दीकी शाखा/ रिटेल असेट सेंटर से संपर्क करें.*
- *फिलहाल यह सुविधा केवल चार राज्यों अर्थात **केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश** में ही उपलब्ध है. शेष राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों की सूची आनी अभी बाकी है.*
- *विस्तृत जानकारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in देखें.*